

राजस्थान सरकार  
जल संसाधन विभाग

क्रमांक :प.15(114)ज0सं0 / 14

जयपुर, दिनांक : 27-6-17

—: आदेश :—

राजस्थान अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954 के अंतर्गत सहायक अभियंता (सिविल/डिप्लोमा) की वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के लिये दिनांक 22.09.15 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। डीपीसी की विषय सामग्री में श्री लक्ष्मी चन्द रावत, कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध सीसीए नियम 16 में जांच विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति का चयन परिणाम बन्द लिफाफे में रखा गया। कार्मिक विभाग द्वारा उक्त जांच का निर्णय करते हुए आदेश दिनांक 26.05.16 के द्वारा श्री लक्ष्मीचन्द रावत को एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। श्री लक्ष्मी चन्द रावत के विरुद्ध पारित दण्डादेश के कारण सहायक अभियंता (सिविल/डिप्लोमा) की वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व में आयोजित डीपीसी को रिव्यू किया गया। विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री लक्ष्मी चन्द रावत का नाम वर्ष 2015-16 की चयन सूची से विलोपित किये जाने की अनुशंसा की है। अतः विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसानुसार श्री लक्ष्मी चन्द रावत, कनिष्ठ अभियंता का वर्ष 2015-16 की चयन सूची में से नाम विलोपित किया जाता है।

आज्ञा से

(आर0सी0 डेनवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, जल संसाधन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति सभी संबंधित को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी
6. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव